

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ।

पत्रांक 1546/14-1 (गैस-पा0/115827/2020) दिनांक: अलीगढ़: नवम्बर: 18, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

विषय:- जनपद-एटा के अन्तर्गत फिरोजाबाद-एटा मार्ग एस0एच0-31 चैनेज 22.000 से 57.160 तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा भूमिगत गैस पाईप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 1.9338 हे0 संरक्षित वन भूमि व उस पर खड़े 246 पौधों का गैर वानिकी प्रयोग की सक्षम स्तर से अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/यूपी0/पाईप लाइन/115827/2020

सन्दर्भ:- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा के पत्रांक-119/14-1 दिनांक 16.07.2021 एवं पत्रांक- 943/14-1 दिनांक 08.11.2021

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक जनपद-एटा के अन्तर्गत फिरोजाबाद-एटा मार्ग एस0एच0-31 चैनेज 22.000 से 57.160 तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा भूमिगत गैस पाईप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 1.9338 हे0 संरक्षित वन भूमि व उस पर खड़े 246 पौधों का गैर वानिकी प्रयोग की सक्षम स्तर से अनुमति का प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा के सन्दर्भित पत्रों से संस्तुति सहित इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा की संस्तुति के आधार पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर संस्तुति सहित 03 प्रतियों में पैनड्राईव सहित संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,
18/11/2021
(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रबन्धक परियोजना एस0ए0-72/79 प्रथम तल, डी0डी0 पुरम, बरेली-243122 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा को उनके सन्दर्भित पत्रों के क्रम में प्रेषित।

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/यूपी0/पाईप लाइन/115827/2020

1.	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जनपद-एटा के अन्तर्गत फिरोजाबाद-एटा मार्ग एस0एच0-31 चैनेज 22.000 से 57.160 तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा भूमिगत गैस पाईप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 1.9338 हे0 संरक्षित वन भूमि व उस पर खड़े 246 पौधों का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। नहीं
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक पार्ट-2 में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में होने के कारण स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि:- 18.11.2021

स्थान:- अलीगढ़।

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

